संख्या-07 /2025/251/एक-1-2025-1-1099/92/2024

प्रेषक,

राम रतन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 09 मई, 2025

विषयः दि सुप्रीम इण्डस्ट्रीनज लि0, कानपुर देहात द्वारा विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1390/डी0एल0आर0सी0-का0दे0/2024, दिनांक 05 अप्रैल, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दि सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा ग्राम मॉवर, तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात में पी०वी०सी० डोर एवं विंडो निर्माण इकाई की स्थापना हेतु विभिन्न विक्रय विलेखों के माध्यम से क्रय की गयी 12.9210हे0 भूमि में से विहित सीमा से 7.8624हे0 अधिक भूमि के विनियमितीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-89(3) में वर्णित व्यवस्था व शासनादेश संख्या-928/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 26-10-2021 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या-09/2022/1025(1)/एक-1-2022-रा0-1 दिनांक 23.12.2022 के आलोक में श्री राज्यपाल दि सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा ग्राम मॉवर, तहसील भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात में पी०वी०सी० डोर एवं विंडो निर्माण इकाई की स्थापना हेतु कुल क्रय की गई 12.9210हे0 भूमि के सापेक्ष विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि 7.8624हे0 के सशुल्क विनियमितीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) संस्था/कंपनी द्वारा द्वारा आवेदन करते समय निर्धारित जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार आगणित कुल मूल्य रू. 15,49,02,317/- का 10 प्रतिशत रूपया 1,54,90,232/- (रूपया एक करोड़ चौवन लाख नब्बे हजार दो सौ बत्तीस मात्र) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमि का उपयोग संस्था/कंपनी द्वारा जनपद कानपुर देहात में पी०वी०सी० डोर एवं विंडो निर्माण इकाई की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) यदि संस्था/कंपनी उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-89 की उपधारा-(3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर इकाई स्थापित करने में विफल रहती है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित/क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू होंगे। परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी अनुज्ञा की अवधि को तदनिमित्त कारण अभिलिखित करने के पश्चात अग्रेतर तीन वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(4) संस्थान/कंपनी द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य यदि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन की भूमि आती है तो उक्त भूमि का विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर अलग से सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था/कंपनी के सम्बन्धित गाटों के विक्रय-पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किये गये हैं तथा कोई भी भूमि असंक्रमणीय भूमिधर, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के भूमिधर से क्रय नहीं की गयी है।

(6) संस्था/कंपनी के अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तांतरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

राम रतन
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. श्री नरेन्द्र शर्मा, अधिकृत हस्ताक्षरी, दि सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लि०, H1 to H8, H-1/1 H-9/1 & खसरा नं0-135, 136, 137 एवं 141, यूपीएसआईडीसी इण्डस्ट्रियल एरिया, जैनपुर, कानपुर देहात पिन कोड-209311
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आर0 पी0 सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in